(139)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एस.एस.अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 0435/2019/उज्जैन/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 01.03.2019 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 69/2018–19/अपील

श्रीमती कलाबाई पति श्री मोहन सिंह रघुवंशी,
निवासी – 442, गुलाबबाई कॉलोनी,
नागदा, जिला उज्जै (म.प्र.) —— अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला – उज्जैन (म.प्र.) —— प्रत्यर्थी

श्री रमेशचन्द्र मूडत अभिभाषक अपीलार्थी

आदेश

(आज दिनांक 18-4-2019)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 69/2018–19 अपील में पारित आदेश दिनांक 01.03.2019 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 के तहत इस आशय से प्रस्तुत किया कि उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नम्बर 240, रकवा 0.710 हैक्टेयर सर्वे नम्बर 241, रकवा 1.00 हैक्टेयर ग्राम भगतपुरी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन में स्थित है। उक्त भूमि का सन् 1990–91 में बन्दोवस्त हुआ था। बन्दोबस्त के समय अपीलार्थी की भूमि बन्दोवस्त पूर्व सर्वे नम्बर 56/1/1 व 56/1/2 स्थित थी। उक्त भूमि में से तीनों तरफ नाला स्थित है। उक्त नाला सर्वे नम्बर पुराना 197 में है। अपीलार्थी के सर्वे नम्बर 240, 241 दोनो बन्दोबस्त पूर्व पास–पास स्थित थे, परन्तु बन्दोबस्त के बाद दूर–दूर कर दिये गये। अपीलार्थी के बन्दोबस्त पूर्व के सर्वे नम्बर 56/1/1 व 56/1/2 को देखने से अक्स की आकृति के नाले दक्षिण दिशा में स्थित है। जबकि नये सर्वे नम्बर 240, 241 दूर–दूर बन्दोबस्त बाद अक्स में दर्शाये गये है, मौके पर नर्ये सर्वे नम्बर 240, 241 पास–पास स्थित हैं तथा अपीलार्थी दोनों सर्वे नम्बर पर कृषि कार्य करती चली आ रही है। बन्दोबस्त के दौरान अपीलार्थी के सर्वे नम्बर की आकृति भिन्न–भिन्न कर दी गयी है, अतः अक्श में संशोधन किया जाये। उक्त आवेदन पत्र आदेश दिनांक 17.08.2017 से निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 01.03.2019 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3– अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 22.04.2015 को अनदेखा कर दूसरा प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2017 पर विश्वास करते हुए आदेश पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में बन्दोबस्त पूर्व के पुराने सर्वे नम्बर 56/1/1 व 56/1/2 के अक्श की प्रतिलिपि व नये सर्वे नम्बर 240 व 241 का प्रस्तुत अक्श को न देखते हुए जबकि पुराने सर्वे नम्बर एक ही मेढ से स्थित होकर पास–पास हैं और नये नम्बर अलग–अलग, दूर–दूर बन्दोबस्त की त्रुटि में अक्श बनाया है। इस महत्वपूर्ण अक्श को न देखते हुए मनमाने तरीके से तहसीलदार का प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2017 पर विश्वास कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गयी है। इसलिए अधीनस्थ विचारण न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किया जाये और अपीलार्थी के भूमि के अक्श में सुधार किये जाने आदेश पारित किया जाये। उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई सकारण आदेश नहीं दिया गया है तथा अपील को अमान्य किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के उपरोक्त आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– प्रत्यर्थी की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित उनके द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो आदेश पारित किये हैं, वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2017 पर विश्वास कर आदेश पारित किया है, जबकि उक्त प्रकरण में एक प्रतिवेदन दिनांक 22.04.2015 को प्रस्तुत किया गया था, उसको अनदेखा किया गया, जबकि यह प्रतिवेदन पूर्व का प्रतिवेदन है। इसलिए विश्वसनीय है, इसके अतिरिक्त यदि दूसरा

प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक था, तब ऐसी स्थिति में पुनः विधिवत जॉच की जानी चाहिए थी और प्रतिवेदन पर साक्ष्य ली जानी चाहिए थी। जो वर्तमान प्रकरण में नहीं ली गयी। बन्दोबस्त पूर्व के पुराने सर्वे नम्बर 56/1/1 व 56/1/2 अक्श की प्रतिलिपि व नर्ये सर्वे नम्बर 240 व 241 का प्रस्तुत अक्श को अनदेखा किया गया है, जबकि पुराने सर्वे नम्बर की एक मेढ से स्थित होकर पास–पास हैं और नये सर्वे नम्बर अलग–अलग, दूर–दूर किया जाकर बन्दोबस्त अक्श में त्रुटि कर बनाया गया है। इस संबंध में पूराने व नये नक्शों को देखने से स्थित स्पष्ट हो जाती है और इसी आशय का तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2017 प्रस्तुत किया है। उपरोक्त स्थिति में जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वैधानिक बिन्दु को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ–74/2015–17 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2017 एवं अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/2018–19 अपील में पारित आदेश दिनांक 01.03.2019 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं दिनांक 22.04.2015 के प्रतिवेदन व संशोधित अक्श के अनुसार अक्श में हुयी त्रुटि को संशोधित किये जाने हेतु कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर